भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3104
गुरुवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>प्रत्येक घर के लिए सौर ऊर्जा</u>

3104. श्री डी.के. सुरेशः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में घरों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश के प्रत्येक घर में सौर ऊर्जा पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए आवंटित कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 40 गीगावाट रूफटॉप सौर (आरटीएस) क्षमता हासिल करने के उद्देश्य से दिनांक 08.03.2019 को रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II की शुरुआत की थी। सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए अनुमत सीएफए पहले 3 किलोवाट तक की आरटीएस क्षमता के लिए 14588 रुपए प्रति किलोवाट और 3 किलोवाट से अधिक व 10 किलोवाट तक की आरटीएस क्षमता के लिए 7294 रुपए प्रति किलोवाट है। विशिष्ट श्रेणी के राज्यों (सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, लद्दाख, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह) के लिए, अनुमत सीएफए पहले 3 किलोवाट आरटीएस क्षमता के लिए 17662 रुपए प्रति किलोवाट और 3 किलोवाट तक की से अधिक व 10 किलोवाट तक की आरटीएस क्षमता के लिए 8831 रुपए प्रति किलोवाट है। आवासीय कल्याण संघ/समूह आवास सोसायटी (आरडब्ल्यूए/जीएचएस) भी अधिकतम 500 किलोवाट क्षमता तक साझा सुविधाओं में आरटीएस स्थापना के लिए सीएफए का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। आरडब्ल्यूए/जीएचएस के लिए स्वीकृत सीएफए सामान्य श्रेणी के राज्यों में 7294 रुपए प्रति किलोवाट और विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में 8831 रुपए प्रति किलोवाट है। ग्रिड संबद्ध सौर रूफटॉप कार्यक्रम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थापित क्षमता का ब्यौरा अनुलग्नक में संलग्न है। चरण-II रूफटॉप सौर (आरटीएस) कार्यक्रम का वित्तीय परिव्यय 11,814 करोड़ रु. है, जिसमें सीएफए 6,600 करोड़ रु. और वितरण कंपनियों को 4,985 करोड़ रु. के प्रोत्साहन शामिल हैं। कार्यक्रम के लिए शुरुआती वित्तीय परिव्यय में कोई बदलाव किए बगैर कार्यक्रम को दिनांक 31.03.2026 तक बढ़ाया गया है।

अनुलग्नक

'प्रत्येक घर के लिए सौर ऊर्जा' के संबंध में पूछे गए दिनांक 21.12.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3104 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 30.11.2023 की स्थिति के अनुसार, ग्रिड संबद्ध सौर रुफटॉप कार्यक्रम के तहत संचयी स्थापित क्षमता का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चरण-**II** कार्यक्रम की सब्सिडी योजना के तहत स्थापित क्षमता (मेगावाट)	क्षेत्र में कुल मिलाकर स्थापित संचयी क्षमता (मेगावाट)
1.	अंडमान एवं निकोबार	0.00	4.20
2.	आंध्र प्रदेश	5.03	190.96
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.22
4.	असम	0.63	41.48
5.	बिहार	7.13	59.02
6.	चंडीगढ़	9.31	58.37
7.	छत्तीसगढ़	4.08	71.65
8.	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	0.00	0.39
9.	गोवा	1.98	37.24
10.	गुजरात	1956.85	3174.04
11.	हरियाणा	46.06	518.49
12.	हिमाचल प्रदेश	2.77	18.55
13.	जम्मू एवं कश्मीर	12.86	34.94
14.	झारखंड	0.56	64.54
15.	कर्नाटक	3.14	497.37
16.	केरल	210.92	591.17
17.	लद्दाख	0.00	0.00
18.	लक्षद्वीप	0.00	0.00
19.	मध्य प्रदेश	44.85	316.51
20.	महाराष्ट्र	117.21	1852.22
21.	मणिपुर	0.33	5.09
22.	मेघालय	0.00	0.21
23.	मिजोरम	0.59	1.91
24.	नागालैंड	0.00	0.10
25.	केंद्र शासित प्रदेश	5.62	231.68
26.	ओडिशा	1.50	41.91
27	पुडुचेरी	0.30	42.28
28.	पंजाब	30.73	308.58
29.	राजस्थान	67.05	1067.25
30.	सिक्किम	0.00	2.67
31.	तमिलनाडु	10.51	489.32
32.	तेलंगाना	37.13	367.18
33.	त्रिपुरा	0.03	4.78
34.	उत्तराखंड	10.22	69.12
35.	उत्तर प्रदेश	63.76	175.95
36.	पश्चिम बंगाल	0.00	67.13
कुल	36 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2651.10**	**10406.51**

*****